पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

लोक आयुक्त का शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित

लखनऊ: 19 दिसम्बर, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए नये लोक आयुक्त के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने आज 19 दिसम्बर, 2015 को याची श्री सच्चिदानन्द गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नये लोक आयुक्त के शपथ ग्रहण को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी, 2016 को होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर को आज सायं फोन कर लोक आयुक्त के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कराने हेतु राज्यपाल की स्वीकृति चाही थी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया।